Bill No. 14 of 2011

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-second Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.–(1) This Act may be called the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Act, 2011.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 30th December, 2010.

2. Amendment of section 7, Rajasthan Act No. 38 of 1961.–The existing sub-section (5) of section 7 of the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961 (Act No. 38 of 1961), hereinafter referred to as the principal Act, shall be deleted.

3. Amendment of section 27-A, Rajasthan Act No. 38 of 1961.–In sub-section (1) of section 27-A of the principal Act, for the existing expression "total number of members", appearing after the expression "exceeds one-third of the" and before the expression "of the elected market committee", the expression "total number of elected members" shall be substituted.

4. Repeal and savings.–(1) The Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 06 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all actions taken or orders made under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

Amendments were proposed in sub-section (5) of section 7 and sub-section (1) of section 27-A with a view to resolve the problem of administrative inconvenience in holding repeated election in the market committees in the event of change in electorate and to restrict the powers of the Government to dissolve the elected market committee merely by not nominating the members required to be nominated under sub-clauses (iv), (v), (vi) and (viii) of clause (a) of sub-section (1) of section 7 or sub-clauses (iii), (v) and (vi) of clause (b) of sub-section (1) of section 7 respectively. It would help in providing comparative stability to the elected market committee.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, he, therefore, promulgated the Rajasthan Agricultural Produce Markets (Second Amendment) Ordinance, 2010 (Ordinance No. 06 of 2010), on 30th December, 2010 which has published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 31st December, 2010.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

गुरमीत सिंह कुन्नर,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS ACT, 1961

(Act No. 38 of 1961)

XX XX XX XX

7. Constitution of market committees.–(1) to (4) XX XX XX XX

(5) A member elected under sub-section (1) shall cease to hold office as such member, if he ceases to be a member of the electorate by which or one of the persons by whom he was elected.

(6) to (13) XX XX XX XX XX XX XX

27-A. Appointment of an Administrator.–(1) Notwithstanding anything contained in this Act or the rules, if at any time it appears to the Government that on account of a decision or order of a competent court, a market committee has not been validly constituted under this Act or that it is disabled from functioning or the term of the market committee has expired or if the total number of vacancies exceeds one-third of the total number of members of the elected market committee or the market committee is otherwise not competent to function, the Government may, by notification, cause all or any powers and duties of the market committee to be exercised and performed by such officer, in such manner and for such period and subject to such conditions as it may, by notification, direct.

(2) to (3) XX XX XX XX

XX XX XX XX

(अधिकृत हिन्दी अनुवाद)

2011 का विधेयक सं. 14

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.-(1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह 30 दिसम्बर, 2010 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 7 **का संशोधन**.-राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम सं. 38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 7 की विद्यमान उप-धारा (5) हटायी जायेगी।

3. 1961 के राजस्थान अधिनियम सं. 38 की धारा 27-क का संशोधन.-मूल अधिनियम की धारा 27-क की उप-धारा (1) में अभिव्यक्ति "निर्वाचित मण्डी समिति के" के पश्चात् और अभिव्यक्ति "के एक-तिहाई" के पूर्व आयी विद्यमान अभिव्यक्ति "सदस्यों की कुल संख्या" के स्थान पर अभिव्यक्ति "निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. निरसन और व्यावृत्तियां.-(1) राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 06) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त कार्रवाइयां या आदेश इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

निर्वाचक मंडल में परिवर्तन होने की दशा में मंडी समितियों के बार-बार निर्वाचन कराने में होने वाली प्रशासनिक असुविधा की समस्या का समाधान करने की दृष्टि से और क्रमश: धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) के उप-खण्ड (iv), (v), (vi) और (viii) या धारा 7 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) के उप-खण्ड (iii), (v) और (vi) के अधीन नामनिर्देशित किये जाने के लिए अपेक्षित सदस्यों को नामनिर्देशित न किये जाने मात्र से ही निर्वाचित मण्डी समिति को विघटित करने की सरकार की शक्तियों को निर्बंधित करने के लिए धारा 7 की उप-धारा (5) और धारा 27-क की उप-धारा (1) में संशोधन प्रस्तावित किये गये थे। निर्वाचित मण्डी समिति को तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिरता प्रदान कराने में यह सहायक होगा।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 30 दिसम्बर, 2010 को राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2010 (2010 का अध्यादेश सं. 06) प्रख्यापित किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 31 दिसम्बर, 2010 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

गुरमीत सिंह कुन्नर,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 1961 का अधिनियम सं. 38) से लिये गये उद्धरण

xx xx xx xx xx

7. मण्डी समितियों का गठन.-(1) से (4) xx xx xx

(5) उप-धारा (**1**) के अधीन निर्वाचित सदस्य ऐसे सदस्य के रूप में पद धारण करना बंद कर देगा यदि वह उस निर्वाचक मण्डल का, जिसने उसे निर्वाचित किया था, सदस्य न रहे या वह उन व्यक्तियों में से एक न रहे जिनके द्वारा वह निर्वाचित किया गया था।

(6) से (**13)** xx xx xx

xx xx xx xx xx

27-**क प्रशासक की नियुक्ति-(1)** इस अधिनियम या नियमों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होने पर भी यदि किसी भी समय सरकार को यह प्रतीत हो कि किसी सक्षम न्यायालय के विनिश्चिय या आदेश के कारण किसी मण्डी समिति का इस अधिनियम के अधीन विधिमान्य गठन नहीं किया गया है या वह कार्य करने के अयोग्य हो गयी है या मण्डी समिति की अवधि समाप्त हो गयी है या यदि रिक्तियों की कुल संख्या निर्वाचित मण्डी समिति के सदस्यों की कुल संख्या के एक-तिहाई से अधिक हो गयी है या मण्डी समिति अन्यथा कार्य करने में अक्षम है, तो सरकार, अधिसूचना द्वारा मण्डी समिति की समस्त या किन्हीं शक्तियों एवं कर्तव्यों का प्रयोग एवम् पालना ऐसे अधिकारी द्वारा, ऐसी रीति से और ऐसी कालावधि के लिये एवम् ऐसी शर्तों के अध्यधीन करवायेगी जैसा वह अधिसूचना द्वारा निदेश दे।

(2) से (**3)** xx xx xx

xx xx xx xx xx

Bill No. 14 of 2011

THE RAJASTHAN AGRICULTURAL PRODUCE MARKETS (SECOND AMENDMENT) BILL, 2011

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

further to amend the Rajasthan Agricultural Produce Markets Act, 1961.

(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

H. R. KURI,
Secretary.

(GURMEET SINGH KUNNAR, **Minister-Incharge)**

<u>2011 **का विधेयक सं. 14**</u>

राजस्थान कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2011

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 को और संशोधित करने के लिये विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

एच. आर. कुडी,
सचिव।

(गुरमीत सिंह कुन्नर, **प्रभारी मंत्री)**